भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1402

(दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए)

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014

1402. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने अभी तक व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के लागू होने की तिथि अधिसूचित नहीं की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;
(ग) मंत्रालय इस अधिनियम को कब तक अधिसूचित करने की योजना बना रहा है;
(घ) क्या मंत्रालय के पास केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधिकारियों के विरूद्ध व्हिसल ब्लोअर की ओर से प्राप्त शिकायतों की संख्या पर नजर रखने की कोई व्यवस्था मौजूद है;
(ङ) यदि हाँ, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या और उन शिकायतों की स्थिति का मंत्रालय/विभाग-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 पर लोक सभा द्वारा दिनांक 27.12.2011 को और राज्य सभा द्वारा दिनांक 21.02.2014 को चर्चा की गई थी/पारित किया गया था। इसे 09.05.2014 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 (2014 की सं. 17) का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में दिनांक 12 मई 2014 को किया गया था। इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान उस तारीख से लागू होंगे जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे। सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना इस कारण से जारी नहीं की गई है कि इस अधिनियम को लागू किए जाने से पहले इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राष्ट्र की सुरक्षा आदि पर प्रभाव डालने वाले ऐसे प्रकटीकरण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित संशोधन करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में ये संशोधन करने के लिए सरकार ने 11 मई 2015 को लोक सभा में सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत किया, जिसे 13 मई 2015 को लोक सभा द्वारा पारित करके राज्य सभा में भेज दिया गया। सोलहवीं लोक सभा के भंग होने पर यह विधेयक व्यपगत हो गया है।

(घ) से (ङ): लोक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प 2004 के अनुसार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्र सरकार अथवा किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत अथवा द्वारा स्थापित किसी कार्पोरेशन, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों अथवा स्थानीय प्राधिकारणों के किसी भी कार्मिक पर भ्रष्टाचार के किसी आरोप अथवा पद के दुरुपयोग के संबंध में लिखित शिकायतें अथवा प्रकटीकरण को प्राप्त करने हेतु नामोद्दिष्ट एजेंसी है।

वर्ष 2020 से 2024 तक आयोग में प्राप्त सभी पीआईडीपीआई शिकायतों के संबंध में डाटा, संलग्नक-I पर संलग्न है।

इन शिकायतों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को अग्रेषित किया जाता है और प्राप्त हुई रिपोर्टों के संबंध में आयोग में जांच की जाती है तथा उचित निर्णय लिया जाता है।

(च): उपर्युक्त (घ) और (ङ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

संलग्नक

सीवीसी में में पीआईडीपीआई संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतें (2020-2024)

वर्ष	प्राप्त और आगे अग्रेषित की गईं शिकायतों की संख्या	कृत कार्रवाई			कुल निस्तारित	अगले वर्ष हेतु अग्रेषित की गई
		दायर की गई शिकायतों की संख्या	गैर-सतर्कता/आवश्यक कार्रवाई हेतु संगठन को अग्रेषित	जांची गई/जांच हेतु भेजी गई		
2020	555	207	252	61	520	35
2021	1057	429	446	177	1052	5
2022	1907	1339	291	257	1887	20
2023	2030	1359	360	248	1967	63
2024	2630	1655	611	255	2521	109

*****